



मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांक 03.10.2026

थाना मड़िहान पुलिस द्वारा एनडीपीएस एक्ट के अभियोग से सम्बन्धित 25 हजार रुपये का ईनामिया वांछित अभियुक्त गिरफ्तार —

अपर्णा रजत कौशिक पुलिस अधीक्षक जनपद मीरजापुर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ तथा गो-तस्करी व मादक पदार्थों में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही सहित इनामियां अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निर्देश दिया गया है।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना मड़िहान पर पंजीकृत मु0अ0सं0-151/2026 धारा 8/20/29 एन.डी.पी.एस. एक्ट व मु0अ0सं0- 228/2026 धारा 8/20/29 एन.डी.पी.एस. एक्ट में कार्यवाही करते हुए आज दिनांक: 03.10.2026 को उप निरीक्षक राजेश कुमार पाण्डेय मय पुलिस टीम द्वारा मुखबीर के सूचना व साक्ष्य संकलन के आधार पर उक्त दोनों अभियोगों से सम्बन्धित 25 हजार रुपये का ईनामिया वांछित अभियुक्त रजत सिंह उर्फ भोदू पुत्र सुभाष सिंह निवासी रंजीतपुर थाना जंगीपुर जखनीया जनपद गाजीपुर, हालपता- ग्राम श्रीनिवास नगर थाना चांदिली जिला रायगढ़, उड़ीसा, को गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए मा0न्यायालय/जेल भेजा गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त —

रजत सिंह उर्फ भोदू पुत्र सुभाष सिंह निवासी रंजीतपुर थाना जंगीपुर जखनीया जनपद गाजीपुर, हालपता- ग्राम श्रीनिवास नगर थाना चांदिली जिला रायगढ़, उड़ीसा, उम्र करीब 31 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0-151/2026 धारा 8/20/29 एन.डी.पी.एस. एक्ट थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर।

मु0अ0सं0- 228/2026 धारा 8/20/29 एन.डी.पी.एस. एक्ट थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम —

उप निरीक्षक राजेश कुमार पाण्डेय मय पुलिस टीम थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर।